स्थापना एवं अन्य
प्रतिबद्ध व्यय मद

बिहार सरकार
अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग
सं0सं0–3जी/अजाविनि–51–02/2024–

प्रेषक,

सुरज कुमार चौधरी,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी–सह–उप सचिव,
अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक–

विषयः–वित्तीय वर्ष 2026–27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के सहायक अनुदान गैर वेतन मद से बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लि0 को राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (NSKFDC), नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध कराये गये टर्म लोन के बकाये मूल राशि की एकमुश्त अदायगी हेतु कुल ₹21,95,00,000/–(इक्कीस करोड़ पंचानवे लाख रूपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2026–27 में बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लि0 (अजाविनि) को सहायक अनुदान–गैर वेतन हेतु कुल रू0 **₹21,95,00,000/– (इक्कीस करोड़ पंचानवे लाख रूपये)** मात्र व्यय की स्वीकृति विभागीय पत्रांक–**3जी/अजाविनि–51–02/2024– 120** दिनांक–19.08.2026 द्वारा दी गयी। तदनुसार संपूर्ण स्वीकृत राशि बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लि0 (अजाविनि) को आवंटित की जाती है।

2– स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में प्रस्तावित राशि मुख्य शीर्ष–2225, अनु0 जातियों, अनु0 जनजातियों, अन्य पिछड़ों वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण, उप मुख्य शीर्ष–01 अनु0 जातियों का कल्याण, लघु शीर्ष–190 सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों की सहायता, उप शीर्ष–0001 बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम, पटना, विषय शीर्ष–0001 3106 सहायक अनुदान गैर वेतन, विपत्र कोड–44–2225–01–190–0001 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

उपरोक्त मद में वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए स्थापना एवं अन्य प्रतिबद्ध व्यय मद में उदव्यय एवं बजट प्रावधान है।

3– उक्त राशि के लिए निकासी पदाधिकारी, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी–सह–उप सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना होंगे। वे राशि की निकासी कर बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लि0 (अजाविनि), पटना के पी0 एल0 खाता सं0–PTSPLA020 में हस्तांतरित करेंगे। प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लि0 (अजाविनि), पटना द्वारा नियमानुसार राशि का व्यय किया जाएगा अर्थात राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (NSKFDC), नई दिल्ली को एकमुश्त अदायगी की जायेगी।

4– राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र सं0–2561 दिनांक–17.04.1998 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा।

5– प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लि0 (अजाविनि), पटना इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र 31.03.2027 तक विभाग को उपलब्ध करा देगें। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलान महालेखाकार, बिहार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेंगे।

6– महालेखाकार, बिहार, पटना को इस राशि के व्यय से संबंधित अंकेक्षण करने का अधिकार होगा।

7– 18 माह पूर्व निर्गत स्वीकृत्यादेश से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र का समायोजन महालेखाकार, बिहार से करा लिया जायेगा।

8– राशि की निकासी एवं व्यय समय–समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा।

10– इस प्रस्ताव पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार से संचिका सं0–**3जी / अजाविनि–51–02 / 2024–** के माध्यम से सहमति प्राप्त है।

11– इस राशि की स्वीकृति के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

12– कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0 / –

(सुरज कुमार चौधरी)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–3 / जी अजाविनि–51–02 / 2024– 123 पटना, दिनांक– 19/08/2026

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव, बिहार / विकास आयुक्त, बिहार, को सूचनार्थ प्रेषित।

2. अपर मुख्य सचिव / सचिव / वित्त विभाग / मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ पेषित।

3. माननीय मंत्री के आप्त सचिव / सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

4. प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी, वित्त एवं विकास निगम (NSKFDC), नई दिल्ली एवं बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लि0 (अजाविनि), पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5. कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

6. सचिव / संयुक्त सचिव (अजाविनी) / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी–सह–उप सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना / सांख्यिकी कोषांग / बजट शाखा / लेखा शाखा (दोहरी प्रति में) अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7. आई0 टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड एवं सभी संबंधित को ई–मेल करने के लिए सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/8/2026

सरकार के संयुक्त सचिव।